

51

निकारानी 1149-II-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2015 जिला-अशोकनगर

- 1- पप्पू पुत्र श्री लालाराम
 - 2- गोविन्द पुत्र श्री दलेल सिंह
 - 3- बाबूलाल पुत्र श्री लालाराम
 - 4- भैयालाल पुत्र श्री लालाराम
 - 5- अशोक पुत्र श्री लालाराम
 - 6- गोलू पुत्र श्री लालाराम
- निवासीगण - दुडेर तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर (म.प्र.)
..... आवेदकगण

21.5.15
21.5.15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

- 1- शिवराज पुत्र श्री जयराम निवासी
ग्राम दुडेर तहसील मुंगावली जिला
अशोकनगर (म.प्र.)
- 2- मध्य प्रदेश शासन
..... अनावेदकगण

Delhatwadi
21/5/15

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक परगना मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम दुडेर में स्थित भूमि सर्वे न. 153/4 ख रकवा 0.500 हे०, का सीमांकन कराये जाने हेतु अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया।
2. यहकि, विवादित भूमि के उक्त सर्वे नं. पर आवेदकगण का निरन्तर कब्जा कास्त करके सम्बत् 2050 से निरन्तर कास्त करके एवं आवास बनाकर चला आ रहा है। और उक्त भूमि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व अधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 155 एवं 154 से लगी हुयी है। ऐसी स्थिति में भी आवेदकगण उक्त प्रकरण में आवश्यक एवं हितवद्ध पक्षकार है और उन्हे प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1149-दो/15

जिला - अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली</u></p>	